रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 07/12/22 को पेश हो।

7/12/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिकी की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा चुका है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा फाईनल डिकी किये जाने पर सहमति दी। वकुलाय को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि खातेदारान के मध्य मोके पर ब्राहमी बटवारा अनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/ भू.अ./2022/6903 दिनांक 22.11.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिकी मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)